[2021] 3 एस. सी. आर. 50

एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

रवींद्रनाथ राव सिंधिया और ए. एन. आर.

(2021 की सिविल अपील संख्या 810)

04 मार्च, 2021

[आर. एफ. नरीमन और बी. आर. गवई, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 11 (6)-एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति उत्तरदाताओं को नियुक्त किया गया था

अपीलार्थी के लिए वितरक-वितरण के लिए अनुबंध था

पक्षों के बीच निष्पादित-पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ उत्तरदाताओं ने यू/एस के तहत याचिका दायर की। 11 (6) उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 के अधिनियम का-उच्च न्यायालय ने एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया -

सर्वोच्च न्यायालय, यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी पति और पत्नी हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक और आदतन निवासी दोनों हैं-यह आगे तर्क दिया गया कि एक बार यह पाया जाता है कि एक समझौते का एक पक्ष एक व्यक्ति है जो भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक है या आदतन निवासी है, तो मामला एस द्वारा शासित होता है। 2 (1) (च) (i) और उच्च न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं है-अभिनिर्धारितः उत्तरदाता वितरक बन गए थे

भारत में अपीलार्थी एकल स्वामित्व के रूप में

अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक प्रपत्र-एस का विश्लेषण। 2 (1) (च) यह दिखाएगा कि पक्षों के बीच जो भी लेन-देन हो, यदि यह उन व्यक्तियों के बीच किया जाता है, जिनमें से कम से कम एक या तो विदेशी नागरिक है, या भारत के अलावा किसी अन्य देश में आदतन निवासी है; या किसी विदेशी देश की सरकार द्वारा, मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता बन जाती है। इस तथ्य के बावजूद कि व्यक्ति, निगमित निकाय, या

एस में संदर्भित एक विदेशी देश की सरकार। 2 (1) (च) भारत में एक व्यावसायिक कार्यालय के माध्यम से भारत में व्यवसाय करना-इसलिए, उच्च न्यायालय के पास मध्यस्थ नियुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था-अब, उत्तरदाताओं को एस की कवायद का पालन करना होगा। 11 (6) आर/डब्ल्यू। अधिनियम की धारा 11 (9)।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. आचार संहिता के साथ भरे गए आवेदन पत्र को पढ़ने से पता चलता है कि एक वितरण को या तो व्यक्तिगत क्षमता में, एक एकल स्वामित्व में लिया जा सकता है।

50 एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. रवींद्रनाथ राव सिंधिया और ए. एन. आर.

कंपनी, साझेदारी फर्म या कंपनी। जब पति और पत्नी के वितरण की बात आती है, तो वे दो नहीं, बल्कि एक ही वितरण के हकदार होते हैं, यह नैतिकता संहिता के खंड 3,17 के तहत स्पष्ट किया जा रहा है कि उन्हें केवल एक ही वितरण के रूप में काम करना है। इकाई। भरे गए प्रपत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि उत्तरदाताओं ने एकल स्वामित्व के रूप में वितरक बनने के लिए आवेदन किया था, यह स्पष्ट किया जा रहा था कि पति एकमात्र था।

स्वामी/"प्राथमिक आवेदक", पत्नी एक "सह-आवेदक" है। [पैरा 11] [62-डी-ई]

2. प्रत्यर्थियों ने स्वयं अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक प्रपत्रों के तहत एकल स्वामित्व चिंता के रूप में भारत में एमवे उत्पादों के वितरक बनने के लिए आवेदन किया है, जिसे आचार संहिता के साथ पढ़ा जाता है। [पैरा 15] [65-ई-एफ]

3. यह तर्क कि पक्षों के बीच लेन-देन का कोई अंतर्राष्ट्रीय स्वाद नहीं है, उस पर खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है।

वास्तव में, धारा 2 (1) (च) के विश्लेषण से पता चलेगा कि पक्षों के बीच जो भी लेन-देन हो, यदि वह व्यक्तियों के बीच किया जाता है, जिनमें से कम से कम एक या तो विदेशी नागरिक है, या भारत के अलावा किसी अन्य देश में आदतन निवासी है; या किसी निगमित निकाय द्वारा जो भारत के अलावा किसी अन्य देश में निगमित है; या किसी विदेशी देश की सरकार द्वारा,

मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता बन जाती है इस तथ्य के बावजूद कि धारा 2 (1) (च) में निर्दिष्ट किसी विदेशी देश का व्यक्ति, निकाय निगमित या सरकार भारत में एक व्यावसायिक कार्यालय के माध्यम से भारत में व्यवसाय करती है। यह

मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास इस मामले के तथ्यों में मध्यस्थ नियुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। [पैरा 16] [66-एफ-एच]

अशोक परिवहन एजेंसी बनाम। अवधेश कुमार (1998) 5

एस. सी. सी. 567 पर भरोसा किया।

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड. एससीओएमआई इंजीनियरिंग बीएचडी बनाम। एमएमआरडीए, (2019) 2 एससीसी 271: [2018] 14 एससीआर 22 -

प्रतिष्ठित।

टी. डी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम यू. ई. डेवलपमेंट इंडिया (पी) लिमिटेड (2008) 14 एस. सी. सी. 271: [2008] 8 एस. सी. आर. 775 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2008] 8 एससीआर 775

संदर्भित किया गया है

पै
रा 3

[2018] 14 एससीआर 22

प्रतिष्ठित

पै
रा 3,13

(1998) 5 एस. सी. सी. 567

उस पर भरोसा करें

पै
रा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 810
2021 .

उच्च न्यायालय के 03.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से
2020 के ARB.P 448 में नई दिल्ली में।

पराग त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री प्रिया कुमार, शैलभ तिवारी, सी. डी. मुल्हेरकर, सुश्री मिशिका बाजपेयी, चाणक्य द्विवेदी, सुश्री मोहना, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री मनमीत अरोड़ा, सुश्री समपिका बिस्वाल, रजत मित्तल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील धारा 11 (6) के तहत दायर एक याचिका से उत्पन्न होती है।

एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थियों द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ["मध्यस्थता अधिनियम"]। मामले के संक्षिप्त तथ्यों को दिनांकित 03.12.2020 के विवादित आदेश में इस प्रकार नोट किया गया है:

" 2. मामले के तथ्य, जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया है,

वर्ष 1998 में याचिकाकर्ताओं को वितरक के रूप में नियुक्त किया गया था

इसकी बिक्री, वितरण और विपणन करने के लिए प्रतिवादी भारत में उत्पाद और एमवे बिजनेस ओनर के रूप में पंजीकृत थे

(एबीओ)/एमवे डायरेक्ट सेलर (एडीएस), एकल के नाम पर एबीओ नंबर 141935 के साथ स्वामित्व 'सिंधिया एंटरप्राइजेज'।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने एक विशाल लाइन की स्थापना की है

प्रत्यर्थी कंपनी में प्रायोजन, और पोषित और लगभग 1500 एडीएस का समर्थन किया, जिन्होंने अब अपनी खुद की स्थापना की है

नेटवर्क, और सिल्वर/गोल्ड/प्लेटिनम/की श्रेणी में हैं

नीलम/पन्ना। 2015 से, मौजूदा नवीकरण प्रक्रिया

ए. डी. एस. हर साल बिना किसी शुल्क के स्वचालित हो जाते हैं।

प्रत्यर्थी ने भारत उद्यम पी. वी. टी. के तरीके में आचार संहिता और आचरण नियम जारी किए।

लिमिटेड। वी. रवींद्रनाथ राव सिंधिया और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

2015 संबंधों की शर्तों को नियंत्रित करने के लिए

प्रतिवादी और एडीएस। प्रतिवादी ने संबंधित ए. डी. एस. के ग्राहकों के रूप में सीधे प्रतिवादी की वेबसाइट के माध्यम से पसंदीदा ग्राहकों (पी. सी.) के पंजीकरण को बढ़ावा देना शुरू कर दिया।

3. प्रत्यर्थी की आवश्यकता पर, याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुबंध सहित आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किया गया था

वितरण, के नियम और शर्तों को निर्धारित करना

वितरण, और अन्य बातों के साथ-साथ आचार संहिता और आचरण के नियमों, कानूनी इकाई प्राधिकरण प्रपत्र (एल. ई. ए. एफ.) आदि की पुष्टि करना। तब से, याचिकाकर्ताओं के अनुबंध का समय-समय पर नवीनीकरण किया जाता रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अपने एबीओ खाते से ग्राहक की मात्रा/बिक्री दर्ज की। याचिकाकर्ताओं को प्रत्यर्थी द्वारा जनवरी से मार्च, 2019 के महीनों के लिए उनके द्वारा की गई बिक्री पर आय भी प्राप्त हुई है। हालांकि, अप्रैल, 2019 में, प्रतिवादी की वेबसाइट पर लॉग इन करने पर, याचिकाकर्ताओं ने नोट किया कि वे अपने एबीओ खाते तक नहीं पहुंच सके, या अपने एल. ओ. एस. को नहीं देख सके। वे केवल एक पीसी के रूप में अपने खाते तक पहुँच सकते थे। तदनुसार, अप्रैल, 2019 और दिसंबर, 2019 के बीच, याचिकाकर्ताओं ने एक प्रश्न उठाया

उनके प्रमुख लेखा प्रबंधक, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि उनके खाते को 'पी. सी.' खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि उन्होंने पुनः बिक्री से संबंधित मानदंडों का पालन नहीं किया है।

पिछले 12 महीनों में खरीदारी। याचिकाकर्ताओं को पता चला कि यह दिसंबर, 2016 में प्रत्यर्थी द्वारा जारी नियमों और शर्तों के नए सेट में एक मानदंड था, जिसे सभी एडीएस द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता थी, 'यहां क्लिक करके आप नए नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं' बटन पर क्लिक करके।

4. याचिकाकर्ताओं ने अपने एबीओ खाते को बहाल करने के लिए बार-बार अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त विवादों और मतभेदों को आपसी चर्चा द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया। अप्रैल से दिसंबर, 2019 तक प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि। हालाँकि, प्रतिवादी अपने एडीएस खाते की बहाली के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार करने में विफल रहा है। 26 जून, 2020 को, [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ताओं ने जनवरी, 2020 में एमवे ग्लोबल के उपाध्यक्ष और उप-सामान्य वकील श्री जॉन शेर्क को मामले को निवारण और समीक्षा के लिए भेजा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि

बहाली के लिए उनके अनुरोध की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया गया

26 जून, 2020 को उनके एडीएस खाते से। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रतिवादी ने अब जुलाई, 2020 से एक नई आचार संहिता और आचरण नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें प्रतिवादी को अब डी. एस. जी. के अनुसार बिक्री स्थापित करने के लिए 2 साल की अवधि का लाभ दिया गया है और ए. डी. एस. खाते की बहाली के लिए एक प्रावधान बनाया गया है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने 28 जुलाई, 2020 को प्रतिवादी को मध्यस्थता खंड, एमवे डायरेक्ट सेलर आवेदन के साथ संलग्न नियमों और शर्तों के खंड 12 का आह्वान करते हुए मध्यस्थता का आह्वान करते हुए नोटिस जारी किया।

प्रपत्र (प्रपत्र-एसए-88-आईडी), जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“ 12. विवाद निपटान। पक्षकार प्रयास करेंगे कि

इससे या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद का निपटारा करें। इस तरह के विवाद के उत्पन्न होने के 30 दिनों के भीतर आपसी चर्चा के माध्यम से प्रत्यक्ष विक्रेता अनुबंध के साथ संबंध। द.

प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि यदि वह एमवे के किसी भी निर्णय से संतुष्ट नहीं है, या यदि प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा उठाया गया कोई मुद्दा दो महीने से अधिक की अवधि के लिए अनसुलझा रहा है, और/या इस समझौते के निर्वाह के दौरान या इसकी समाप्ति पर या उसके बाद, कोई भी मुद्दा

या विवाद जो प्रत्यक्ष विक्रेता के संबंध में हो सकता है

इसके खंडों की व्याख्या या संचालन

व्यवस्था या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे को कंपनी द्वारा स्थापित शिकायत निवारण समिति को भेजा जाएगा। कोई विवाद, मतभेद या दावा शेष है शिकायत निवारण के लिए अनसुलझे पोस्ट संदर्भ

समिति की चर्चाओं को बाध्यकारी रूप से प्रस्तुत किया जाएगा

भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता। इस तरह के मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली में होगा और मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। उपरोक्त के अधीन, केवल नई दिल्ली की अदालतों के पास प्रत्यक्ष विक्रेता अनुबंध और यहाँ से जुड़े मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र होगा।

तक "।

5. प्रत्यर्थी ने 20 अगस्त, 2020 के पत्र के माध्यम से जवाब दिया जिसमें प्रत्यर्थी ने सूचित किया कि मध्यस्थ का नाम वे इंडिया एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. रवींद्रनाथ राव सिंधिया और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई सिफारिश उसके द्वारा स्वीकार्य नहीं थी और उसने किसी अन्य मध्यस्थ के नाम के साथ जवाब देने के लिए समय मांगा।

हालाँकि, प्रत्यर्थी तब तक याचिका दायर करने में विफल रहा है जब तक कि वह 20 अगस्त के अपने जवाब का कोई अनुवर्ती जवाब जारी करने में विफल रहा।

2020 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी।

3. मुख्य याचिका ई-अपीलार्थी, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा ली गई है। लिमिटेड, दिल्ली उच्च न्यायालय में यह था कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित है, जिसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (च) (i) द्वारा संशोधित किया गया है क्योंकि पति और पत्नी दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं और आदतन संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। इस याचिका को खारिज कर दिया गया था

अभिक्षिप्त निर्णय में कहा गया हैः

" 23. यहां तक कि टी. डी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी। यू. ई. डेवलपमेंट इंडिया (पी) लिमिटेड, (2008) 14 एस. सी. सी. 271 इस मामले के तथ्यों में लागू नहीं है, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। बल्कि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड-एससीओएमआई इंजीनियरिंग बीएचडी बनाम के मामले में फैसले पर भरोसा करना उचित है। एम. एम. आर. डी. ए., (2019) 2 एस. सी. सी. 271, जिसमें उच्चतम न्यायालय एक भारतीय कंपनी और एक विदेशी कंपनी के संघ से संबंधित था और न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि एक अनिगमित इकाई का कार्यालय, यानी संघ, मुंबई में होने के कारण, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक कारक के रूप में कि मध्यस्थता कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता नहीं होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एकल स्वामित्व की कोई अलग कानूनी पहचान नहीं होती है, लेकिन हाथ में मामले में, दो व्यक्तियों, पति और पत्नी ने एक स्वामित्व के रूप में एक साथ जुड़कर एकल वितरण किया है। खंड 3,17 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा जारी आचार संहिता और आचरण के नियम। 1 यह विचार करता है और मान्यता देता है कि एक पति और पत्नी अपने वितरण को एकल इकाई के रूप में संचालित करेंगे। स्वामित्व केंद्रीय स्वामित्व वाले व्यक्तियों का एक संघ या निकाय है।

भारत में प्रबंधन। 24. सुश्री कुमार की याचिका कि याचिकाकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्ति और आदतन निवासी होने के नाते, मामला 1996 के अधिनियम की धारा 2 (1) (च) (i) द्वारा कवर किया जाएगा, उपरोक्त पैराग्राफ में मेरे निष्कर्ष को देखते हुए अपील नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 3 एस सी आर।

4. यह माना गया था कि केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण के बाद से

इस संगठन या व्यक्तियों के निकाय का प्रयोग केवल भारत में किया जाता है

धारा 2 (1) (च) (iii), विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय को धारा 11 (6) के तहत एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र है। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बृजेश सेठी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

5. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पराग त्रिपाठी ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय में उनके पूर्ववर्ती की याचिका

गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था कि यह मामला वास्तव में धारा 2 (1) (च) (i) द्वारा शासित है न कि धारा 2 (1) (च) (iii) द्वारा। एक बार जब यह पाया जाता है कि मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष एक ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रीय है, या आदतन है भारत के अलावा किसी अन्य देश में निवासी, धारा 2 (1) (च) के किसी अन्य उपखंड पर जाना आवश्यक नहीं है, और जैसा कि यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी, जिन्होंने धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन किया है, वे व्यक्ति हैं जो

संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं और आदतन निवासी हैं, जो इसके अंतर्गत आते हैं

धारा 2 (1) (च) (i), उच्च न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, ऐसी याचिका केवल धारा 11 (9) के साथ पठित धारा 11 (6) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जानी चाहिए।

6. सुश्री मनमीत अरोड़ा, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

प्रत्यर्थियों ने अपील के तहत निर्णय का समर्थन किया है, और विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख किया है, जो उनके अनुसार, यह स्पष्ट करते हैं कि प्रत्यर्थियों, पति और पत्नी को धारा 2 (1) (च) (iii) के तहत "व्यक्तियों के संघ या निकाय" के तहत रखा जाना चाहिए, न कि धारा 2 (1) (च) (i) के तहत।

7. सवाल एक बहुत ही संकीर्ण दिशा में है। जैसा कि सही है।

सुश्री अरोड़ा द्वारा प्रतिवाद किया गया कि इस मामले में दस्तावेजी साक्ष्य इस बात का निर्णायक होगा कि क्या उपखंड (i) से धारा 2 (1) (च) की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, इस मामले में उपखंड (iii) पर जाना अनावश्यक है, क्योंकि धारा 2 (1) (च) के तहत, "कम से कम एक पक्ष" को धारा 2 (1) (च) के उपखंड (i) से (iv) के तहत आना चाहिए।

8. "कोड ऑफ एथिक्स ऑफ एमवे डायरेक्ट" नामक एक दस्तावेज़ में

विक्रेताओं के लिए, "आचरण नियमों" के तहत, यह निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

" 2.1.17 कानूनी इकाई प्राधिकरण प्रपत्र (एल. ई. ए. एफ.) का अर्थ है -

दस्तावेज़ जो प्रत्यक्ष विक्रेता अनुबंध के अलावा होना चाहिए

एक प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा पूरा किया गया या एक को संचालित करने के लिए चुना गया

एक लागू कानूनी इकाई के नाम पर एमवे व्यवसाय।

XXX
XXXX

" 4.13 मताधिकार और क्षेत्रः कोई प्रत्यक्ष विक्रेता नहीं यह किसी को भी बताएँ कि एमवे बिक्री और विपणन योजना के तहत विशेष फ्रेंचाइजी या क्षेत्र उपलब्ध हैं।

कोई भी प्रत्यक्ष विक्रेता यह प्रतिनिधित्व नहीं करेगा कि उसे या किसी और को ऐसी फ्रेंचाइजी देने, बेचने, सौंपने या स्थानांतरित करने या क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है। कोई प्रत्यक्ष विक्रेता या प्रायोजक नहीं

यह कह सकते हैं या संकेत दे सकते हैं कि उनका कोई दिया हुआ क्षेत्र है, और न ही कोई अन्य प्रत्यक्ष विक्रेता उनके क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है।

उस देश में। ट्रेडनाम और ट्रेडमार्क सहित महत्वपूर्ण कानूनी कारणों से

सुरक्षा; स्थानीय लॉसन उत्पाद पंजीकरण, पैकेजिंग, लेबलिंग घटक सामग्री और निर्माण, उत्पाद देयता; सीमा शुल्क और कर कानून; और साहित्य सामग्री या भाषा की आवश्यकताएँ।

एमवे को डायरेक्ट सेलर्स द्वारा एमवे उत्पादों की पुनर्विक्रय को केवल उस देश के भीतर स्थित अन्य डायरेक्ट सेलर्स या रिटेल ग्राहकों तक सीमित करना चाहिए जिसमें डायरेक्ट सेलर वैध रूप से एमवे उत्पादों को खरीदता है और व्यवसाय करने के लिए अधिकृत है। "उत्पाद" शब्द

इसमें, बिना किसी सीमा के, सभी साहित्य, बिक्री सहायता और कोई भी अन्य वस्तुएँ शामिल हैं जो सीधे विक्रेता द्वारा एमवे या उसके प्रायोजक से प्राप्त की जाती हैं।

या प्लेटिनम।

4.16. 1 निर्यात नियमः व्यक्तिगत उपयोग विश्व स्तर पर, एमवे के नियमों और वाणिज्यिक सिद्धांतों में एक बाजार से दूसरे बाजार में एमवे उत्पादों के निर्यात और आयात पर प्रतिबंध शामिल हैं। हालांकि, एमवे डायरेक्ट सेलर्स निम्नलिखित सीमाओं के साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए सीमाओं के पार एमवे उत्पादों को ले सकते हैंः

वे इंडिया एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. रवींद्रनाथ राव सिंधिया और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एमवे डायरेक्ट सेलर दूसरे देश का दौरा कर रहा है और व्यक्तिगत रूप से उस देश में उत्पाद का ऑर्डर देता है।

एमवे डायरेक्ट सेलर भौतिक रूप से एक देश में उत्पादों को उठाता/प्राप्त करता है और व्यक्तिगत रूप से उत्पादों को दूसरे देश में ले जाता है। वहाँ कोई कूरियर, शिपिंग नहीं हो सकता है

कंपनियां, या माल अग्रेषक शामिल हैं।

यदि एमवे डायरेक्ट सेलर के देश में कई व्यवसाय हैं, तो ऑर्डर को ग्राहक के रूप में नहीं रखा जा सकता है।

विदेशी ग्राहक के लिए ऑर्डर करें।

ये उत्पाद एमवे डायरेक्ट सेलर्स के लिए हैं।

केवल उपयोग करें।

उत्पादों को फिर से बेचा, वितरित या दिया नहीं जा सकता है।

किसी भी परिस्थिति में।

ऑर्डर किए गए उत्पाद एमवे में उपलब्ध नहीं होने चाहिए।

टिकाऊ वस्तुओं (जैसे जल उपचार प्रणाली, वायु उपचार प्रणाली) को एक बाजार से दूसरे बाजार में नहीं ले जाया जा सकता है।
किसी भी परिस्थिति में।

एमवे डायरेक्ट सेलर ऑर्डर उत्पाद की उचित मात्रा से अधिक के लिए नहीं होना चाहिएः सालाना 300 अमरीकी डॉलर से कम।
व्यक्तिगत उपयोग बहिष्करण का उपयोग व्यवसाय के रूप में नहीं किया जा सकता है।

रणनीति बनाना "।

9. जिसे "कानूनी इकाई प्राधिकरण प्रपत्र" के रूप में संदर्भित किया जाता है,

भरा गया था "कानूनी इकाई प्राधिकरण प्रपत्रः एकल

इटोर "। उत्तरदाताओं द्वारा भरा गया उक्त प्रपत्र निम्न स्तर का हैः

" कानूनी एकता प्राधिकरण प्रारूपः

एकल स्वामित्व

जहां एक एमवे स्वतंत्र व्यवसाय ("एमवे व्यवसाय") भारत में एक निवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय ("एनआरआई"), भारतीय मूल के व्यक्ति ("पी. आई. ओ".) या भारत के प्रवासी नागरिक ("ओ. सी.

आई".) द्वारा आयोजित एकल स्वामित्व ("इकाई") के माध्यम से संचालित किया जाएगा, एकल स्वामित्व को, एकल मालिक ("एकमात्र मालिक") के माध्यम से, इस कानूनी इकाई प्राधिकरण प्रपत्र को [2021] 3 एस. सी. आर. के लिए पूरा करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एमवे व्यवसाय के मालिक ("इकाई समझौता") और प्रस्तुत करें

यह एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। लिमिटेड ("एआईई")। एकमात्र

मालिक को बने रहने के लिए सहमत होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इकाई बनी रहे एमवे व्यवसाय के लिए आचरण नियमों का पूर्ण अनुपालन

मालिकों। यह संस्था समझौता प्रभावी हो जाएगा यदि और जब ए. एल. ई. भरे हुए प्रपत्र पर हस्ताक्षर करता है। इस इकाई समझौते में

उसमें निगमित ("एबीओ अनुबंध")। किसी भी स्थिति में संघर्ष, इस इकाई समझौते के नियम और शर्तें

प्रबल होते हैं।

XXX XXX XXX

हस्ताक्षरित संस्था को एमवे के संचालन की अनुमति देने के लिए ए. आई. ई. के समझौते पर विचार

ए. डी. ए. सं. द्वारा चिन्हित।

अधोहस्ताक्षरित निम्नलिखित रूप में सहमत हैं।

एकमात्र स्वामी और, यदि लागू हो, तो इकाई का अधिकृत प्रतिनिधि हैः

रवींद्रनाथ राव सिंधिया

नाम -

443 4 मुख्य

12 टी क्रास

पताः

डब्ल्यू. सी. आर. टी. आई. स्टेशन, बैंगलोर

560086

फोन नंबरः

पहचान दस्तावेज

& संख्या.

इन्दुमती सिंधिया

नाम -

443 4 मुख्य 12 वीं क्रॉस

पताः

डब्ल्यू. सी. आर. आई. टी. स्टेज, बैंगलोर

560086

फोन नंबरः

पहचान दस्तावेज

& संख्या. एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि संस्था के बारे में निम्नलिखित जानकारी सही और पूर्ण है।

इकाई का पूरा नाम -

ए.

सिंधिया उद्यम

31. JULY.1998

जिस तारीख को संस्था का आयोजन किया गया थाः

बी.

सी.

संस्था के प्रधान कार्यालय का पताः

12 टीए क्रॉस

443 , 4 मुख्य बात,

डब्ल्यू. सी. आर. टी. आई. चरण,

राजाजीनगर

बैंगलोर 560086

कर्नाटक मार्ग भारत पी. वी. टी. में प्रवेश करता है। लिमिटेड। वी. रवींद्रनाथ राव सिंधिया और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 5. एकमात्र मालिक इस बात से सहमत है किः

ए. इकाई का एकमात्र उद्देश्य एमवे का स्वामित्व और संचालन करना है

ऊपर पहचाने गए व्यवसाय, जब तक कि ए. आई. ई. संस्था को स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं देता है

एक से अधिक एमवे व्यवसाय का स्वामित्व और संचालन करना। न ही

संस्था और न ही एकमात्र मालिक किसी अन्य का स्वामित्व या संचालन करेंगे।

व्यवसाय या व्यावसायिक हित।

XXX XXX XXX ग. संस्था में कोई भी एनआरआई, पी. आई. ओ. या ओ. सी. एल. निवेश, यदि और के रूप में

लागू किया गया है, गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर बनाया गया है भारत के लागू विदेशी मुद्रा कानूनों के अनुसार।

XXX XXX XXX

एमवे बिजनेस से जुड़े सभी मामले, विशेष रूप से एक का उपयोग करें विधिवत अधिकृत भारतीय रुपया बैंक खाता जो, यदि लागू हो,

यह गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर काम करता है।

एच. एकमात्र मालिक अपने लिए जिम्मेदार होगा, और

संस्था, आचरण के एमवे नियमों का अनुपालन और एमवे के संचालन के संबंध में लागू कानून

विदेशी मुद्रा कानूनों सहित संस्था द्वारा व्यवसाय। किसी भी

उपरोक्त का उल्लंघन ए. आई. ई. को ए. बी. ओ. अनुबंध और इकाई समझौते को समाप्त करने का अधिकार देता है।

XXX XXX "

10. "अधिकृत हस्ताक्षर" के तहत, इकाई का नाम भरा गया था

सिंधिया (प्रतिवादी सं। 1 यहाँ)। यह एक अनुसार किया गया थाअपीलार्थी द्वारा पुनः मुद्रित प्रपत्र में दाखिल किया गया प्रशस्ति पत्र

एनडेंट्स, जो इस प्रकार हैः

एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड,

आमवे।

फ्लोर एलिगेंस टावर, पालतू जानवर संख्या और गैर-पदानुक्रमित ढूंढें

वाणिज्यिक केंद्र। लासाला, मरेर दिल्ली-110 625

सम्पर्क नं. : 080-3941-4600

ब्लू कॉपी टू मैनडेड ओवेन टू एडमिनीज़

पी. वाई. टॉर किसी से भी बदला जाता है

डिस्ट्रीब्यूटर आवेदन। आवेदन आपके लिए होना चाहिए।

आवेदन सूचना आवश्यक जानकारी)

आप अपने एम्मेरे डेवोनब्यूटरशिप को कैसे संचालित करेंगे?

क्रूमेंट्स

कृपया अपनी श्रेणी पी. ई. ओ. पर टिक (~) करें

सोनचुआ उद्यम

प्राथमिक आवेदक/प्रथम प्राधिकृत प्रतिनिधि (इकाई के मामले में)

रविंदरामेट I: कोशेकोशेकोशेक

टी सोल्डिना सुनदना-टी सोल्डिना सुनदना-टी सोल्डिना सुनदना-टी सोल्डिना सुनदना-टी सोल्डिना सुनदना-टी सोल्डिना सुनदना-टी सोल्डिना सुनदना-टी सोल्डिना सुनदना-टीना-टीना-टीना-टीना-टीना-टीना

प्राथमिक आवेदक की जन्म तिथि सह-आवेदक की जन्म तिथि

सह-आवेदक का नाम जैसा कि डी कार्ड पर वांछित है।

प्राथमिक आवेदक का नाम जैसा कि ® कार्ड पर वांछित है मुझे कैसे

रविंदरामथ सिंद्रोआ ओन्डवमथी सोनद्रोआ

क्या आप, प्रमुख आवेदक का आपका प्राथमिक एमवे व्यवसाय किसी अन्य देश में है (हाँ) कृपया निम्नलिखित जानकारी भरें

एम.

रविंदरनल सॉन्चिग फैनस्ली

11. भरे हुए आवेदन पत्र को एक साथ पढ़ना

आचार संहिता से पता चलता है कि एक वितरक को या तो व्यक्तिगत क्षमता में लिया जा सकता है, एक एकल स्वामित्व चिंता, साझेदारी फर्म, या

कंपनी। जब पति और पत्नी के वितरण की बात आती है, तो वे दो नहीं, बल्कि एक ही वितरण के हकदार होते हैं, यह नैतिकता संहिता के खंड 3,17 के तहत स्पष्ट किया जा रहा है कि उन्हें केवल एक इकाई के रूप में काम करना है। भरे गए फॉर्म से यह स्पष्ट हो गया कि

उत्तरदाताओं ने एकल स्वामित्व के रूप में वितरक बनने के लिए आवेदन किया, यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पति, रवींद्रनाथ राव सिंधिया, एकमात्र मालिक/"प्राथमिक आवेदक" थे, पत्नी, इंदुमती सिंधिया, एक "सह-आवेदक"।

12. हालांकि, सुश्री अरोड़ा ने कोड के पढ़ने से तर्क दिया

पक्षों के बीच नैतिकता और पत्राचार, कि लेन-देन में कोई अंतरराष्ट्रीय स्वाद नहीं था क्योंकि जो व्यवसाय किया जाना है वह केवल भारत में ही किया जा सकता है, एक अपवाद खंड 4,16 के तहत केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा है। 1 . सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पत्राचार में तथाकथित एकल स्वामित्व का पता

दोनों पक्षों के बीच एकल स्वामित्व के बैंगलोर कार्यालय का पता था।

13. सुश्री अरोड़ा ने भी इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड-एससीओएमआई इंजीनियरिंग बीएचडी बनाम। एमएमआरडीए, (2019) 2 एससीसी 271। यह न्यायालय एक समझौते से संबंधित था

एम. एम. आर. डी. ए., एक भारतीय कंपनी और लार्सन एंड टुब्रो के एक संघ के बीच, एक भारतीय कंपनी, स्कोमी इंजीनियरिंग बी. एच. डी., एक वे इंडिया एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. के साथ।

लिमिटेड। वी. रवींद्रनाथ

राव सिंधिया और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यसियन कंपनी। वह तर्क जिसे पहले अपील में दबाया गया था

अदालत ने कहा था कि चूंकि एक मलेशियाई कंपनी शामिल थी, इसलिए यह भारत के अलावा किसी अन्य देश में निगमित कॉर्पोरेट को मध्यस्थता की धारा 2 (1) (एफ) (ii) के प्रावधानों को आकर्षित करेगी।

इस न्यायालय ने उपरोक्त तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दियाः

" 9. अनुबंध की सामान्य शर्तों के तहत, खंड 1.1.2.3 में "ठेकेदार" को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी,

निगम, संयुक्त उद्यम या संघ, चाहे निगमित हो

या नहीं "। बोलीदाता को खंड 1 के तहत भी परिभाषित किया गया है। 1.2.10 अर्थ के रूप में

एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, संयुक्त उद्यम या

वनों से आच्छादित, हम परिभाषा खंड में पाते हैं कि "कंसोर्टियम" का अर्थ होगा एल एंड टी और स्कोमी इंजीनियरिंग बीएचडी, जिसमें कार्य करना है इस समझौते के उद्देश्य के लिए सहयोग और इसे "एल एंड टी-एसईबी" कंसोर्टियम "अनिगमित" कहा जाएगा। अनुबंध को उपखंड 6 में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है, "प्रवेश किया जाने वाला अनुबंध"।

निष्पादन के लिए नियोक्ता के साथ संघ द्वारा

परियोजना "। उपखंड 7 के तहत, "के प्रमुख सदस्य

कंसोर्टियम "या" कंसोर्टियम लीडर "का अर्थ होगा एल एंड टी, यानी भारतीय कंपनी। उपखंड 8 के तहत, "पर्यवेक्षी बोर्ड" (इसके बाद "एस. बी". के रूप में संदर्भित) का अर्थ एक बोर्ड होगा।

जी. सी. सी. के खंड 11 के तहत गठित। जब हम खंड 11.2 पर आते हैं, तो यह स्पष्ट है कि इस पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्यों में चार सदस्य होंगे, जिनमें से दो प्रत्येक सदस्य द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। संघ के नेता द्वारा नामित और सभी सदस्यों द्वारा सहमत सदस्यों में से एक सदस्य तब पर्यवेक्षी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। बोर्ड, जो खंड 11.5 द्वारा अनुबंध के निष्पादन से संबंधित विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए है। खंड 21.1 (छ) में प्रावधान है कि संघ का नेता सभी मध्यस्थता कार्यवाही का नेतृत्व करेगा।

XXX XXX XXX

11. यह महत्वपूर्ण है, इस मोड़ पर, द्वारा किए गए आदेश का उल्लेख करना

बॉम्बे का उच्च न्यायालय दिनांक 20-10-2016 [L & T लिमिटेड वी. एमएमआरडीए, 2016 एससीसी ऑनलाइन बम 13348] जिसमें, जैसा कि [2021] 3 एस. सी. आर. है।

" 10. अनुबंध के नियमों और शर्तों के साथ-साथ श्री अनखाद द्वारा उद्धृत निर्णय को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं के लिए प्रतिवादी के साथ व्यवहार करते समय अपनी स्वतंत्र पहचान पर भरोसा करना खुला नहीं है और उन्हें उनसे निपटना होगा। केवल एक संघ के रूप में प्रतिवादी। इसलिए, आक्षेपित क्रम में कोई दुर्बलता नहीं है। इसी कारण से दायर की गई वर्तमान याचिका भी विचारणीय नहीं होगी। इसलिए, इसे खारिज कर दिया जाता है "।

12. श्री गोपाल जैन ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि यह निर्णय दोनों पक्षों के बीच अंतिम था क्योंकि कोई अपील नहीं की गई है। इसलिए, इस तथ्य पर जोर देना कि यह केवल "इस दावे" से संबंधित है और इसलिए, मध्यस्थता खंड के तहत दावों के एक अलग समूह पर लागू नहीं होगा, एक तर्क नहीं है जो हमें अपील करता है। 13. यह स्पष्ट है, जैसा कि निर्णय [एल एंड टी लिमिटेड बनाम। बॉम्बे उच्च न्यायालय का एम. एम. आर. डी. ए., 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 13348] और जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी है, कि याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी के साथ व्यवहार करते समय स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करना खुला नहीं है और उन्हें प्रतिवादी के साथ केवल एक संघ के रूप में व्यवहार करना होगा।

14. यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि धारा 2 (1) (च) (iii) में निर्दिष्ट अनिगमित "संघ" इस मामले के तथ्यों पर आकर्षित होगा, न कि धारा 2 (1) (च) (ii) के रूप में। ए. एम. डब्ल्यू. ए. वाई. इंडिया एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. के बाद निकाय को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

लिमिटेड। वी. रवींद्रनाथ राव सिंधिया और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

निर्णय [एल एंड टी लिमिटेड बनाम। एमएमआरडीए, 2016 एससीसी ऑनलाइन बम 13348]

बॉम्बे उच्च न्यायालय।

आवाज का निर्धारण करना कि यह उक्त बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है (निस्संदेह, अन्य सदस्यों की सहमति से); और तथ्य यह कि संघ का कार्यालय वडाला, मुंबई में है और यह भी कि प्रमुख सदस्य मध्यस्थता कार्यवाही का नेतृत्व करेगा, सभी इस तथ्य की ओर इशारा करेंगे कि इसका केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण

ऐसा प्रतीत होता है कि संघ का प्रयोग भारत में किया जाता है न कि किसी विदेशी राष्ट्र में।

14. यह मामला तथ्यों पर अलग है, क्योंकि पक्षों के बीच एक अंतिम निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संघ के लिए एमएमआरडीए के साथ व्यवहार करते समय स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करना खुला नहीं होगा। यह मामला होने के कारण, संघ को धारा 2 (1) (च) (iii) के तहत आने वाले व्यक्तियों का एक संघ माना गया था, और चूंकि प्रमुख सदस्य को मध्यस्थता कार्यवाही का नेतृत्व करना है, इसलिए केंद्रीय

भारत में लार्सन एंड टुब्रो द्वारा प्रयोग किए जा रहे संघ का प्रबंधन और नियंत्रण, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 2 (1) (च) (iii) उस मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं होगी। 15. इसके विपरीत, हमने देखा है कि कैसे उत्तरदाताओं ने स्वयं भारत में एमवे उत्पादों के वितरक बनने के लिए आवेदन किया है

अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक प्रपत्रों के तहत एकल स्वामित्व के रूप में, जिसे ऊपर उल्लिखित आचार संहिता के साथ पढ़ा जाता है। अशोक परिवहन एजेंसी बनाम। अवधेश कुमार, (1998) 5 एस. सी. सी. 567, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था को व्यवसाय के स्वामी के बराबर माना जाता हैः

" 6. एक साझेदारी फर्म एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली स्वामित्व वाली संस्था से अलग होती है। साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। हालांकि साझेदारी एक न्यायिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन आदेश XXX नियम 1 सी. पी. सी. एक साझेदारी फर्म के भागीदारों को फर्म के नाम पर मुकदमा करने या मुकदमा करने में सक्षम बनाता है। एक स्वामित्व वाली संस्था केवल वह व्यावसायिक नाम है जिसमें

व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय चलाता है।

21] 3 एस सी आर।

किसी स्वामित्व वाली संस्था के खिलाफ व्यवसाय के मालिक द्वारा या उसके खिलाफ है। किसी स्वामित्व वाली संस्था के मालिक की मृत्यु की स्थिति में, यह मालिक के कानूनी प्रतिनिधि हैं जो अकेले स्वामित्व वाले व्यवसाय के लेन-देन के संबंध में मुकदमा कर सकते हैं या उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। आदेश XXX के नियम 10 के प्रावधान जो आदेश XXX के प्रावधानों को एक स्वामित्व वाली संस्था पर लागू करते हैं, एक स्वामित्व वाले व्यवसाय के मालिक पर उसकी स्वामित्व वाली संस्था के व्यावसायिक नामों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाते हैं। जिस वास्तविक पक्ष पर मुकदमा चलाया जा रहा है, वह उक्त व्यवसाय का स्वामी है। उक्त प्रावधान का स्वामित्व व्यवसाय को साझेदारी फर्म में बदलने का प्रभाव नहीं पड़ता है। आदेश XXX के नियम 4 के प्रावधान

इस तरह के मुकदमे के लिए कोई आवेदन नहीं है क्योंकि आदेश XXX नियम 10 के आधार पर आदेश XXX के अन्य प्रावधान स्वामित्व व्यवसाय के मालिक के खिलाफ मुकदमे पर लागू होते हैं।

इस तरह के मामले की अनुमति "। इसका मतलब है कि केवल आदेश XXX के उन प्रावधानों को स्वामित्व संबंधी सरोकारों पर लागू किया जा सकता है जिन्हें मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा सकता है।

7. वर्तमान मामले में अशोक परिवहन एजेंसी के मालिक ए. सी. बसु की मुकदमे की स्थापना की तारीख से पहले मृत्यु हो गई थी और मुकदमे की स्थापना की तारीख पर स्वामित्व वाली संस्था अस्तित्व में नहीं थी। स्वामित्व व्यवसाय के संबंध में ए. सी. बसु के खिलाफ उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के किसी भी कारण के संबंध में केवल ए. सी. बसु के कानूनी प्रतिनिधियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। हमें यह समझना मुश्किल लगता है कि नियम 4 आदेश XXX के प्रावधान कैसे हैं।

सी. पी. सी. को इस तरह के मामले तक बढ़ाया जा सकता है।

16. मामले के इस दृष्टिकोण में, इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि पक्षों के बीच लेन-देन का कोई अंतर्राष्ट्रीय स्वाद नहीं है

खड़े रहने के लिए। वास्तव में, धारा 2 (1) (च) के विश्लेषण से पता चलेगा कि पक्षों के बीच जो भी लेन-देन हो, अगर ऐसा होता है

व्यक्तियों के बीच दर्ज किया गया, जिनमें से कम से कम एक या तो विदेशी नागरिक है, या भारत के अलावा किसी अन्य देश में आदतन निवासी है; या एक निकाय कॉर्पोरेट द्वारा जो भारत के अलावा किसी अन्य देश में निगमित है; या किसी विदेशी देश की सरकार द्वारा, मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता बन जाती है, इस तथ्य के बावजूद कि

धारा 2 (1) (च) में निर्दिष्ट किसी विदेशी देश का व्यक्ति, निगमित निकाय या सरकार भारत में एक व्यावसायिक कार्यालय के माध्यम से भारत में व्यवसाय करती है। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास इस मामले के तथ्यों में मध्यस्थ नियुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

17. सुश्री अरोड़ा ने इस न्यायालय में अपने ए का उपयोग करने के लिए एक भावपूर्ण याचिका दायर की

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सीधे एक मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति, अब जब मामला इस न्यायालय के समक्ष है। हमें डर है कि हम इस तरह के सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उत्तरदाताओं को अब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (9) के साथ पठित धारा 11 (6) की कवायद का पालन करना होगा।

18. अपील की अनुमति दी जाती है, और अपील के तहत निर्णय निर्धारित किया जाता है

एक तरफ।

अंकित ज्ञान